तवर्रुक का मसला

उन्नीसवां फ़िक्ही सेमिनार (हांसोट, गुजरात) दिनांक 27-30 सफ़र 1431 हिजरी, 12 - 15 फ़रवरी 2010 ई॰ को आयोजित हुआ।

कभी कभार मनुष्य को नक़द रक़म की आवश्यकता होती है, और उसे कोई क़र्ज देने वाला नहीं मिलता, अतः वह व्यक्ति कोई माल उधार ज्यादा क़ीमत पर ख़रीद कर किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ नकद कम कीमत पर बेच देता है ताकि उसे नकद रकम प्राप्त हो जाए, यह सूरत प्राचीन दौर से मौजूद है, फ़ुक़हा हनाबिला (हंबली फ़ुक़हा) के यहां इस सूरत वाले मसले के लिए तवर्रुक़ का शब्द इस्तेमाल किया गया है। अधिकांश फ़ुक़हा के निकट दो अलग उक़्द होने के कारण यह सूरत वैद्य हैं।

वर्तमान दौर में कुछ इस्लामी बैंक और वित्तीय संस्थाना तवर्रूक़ के नाम से कुछ मामला करते हैं, जिनके बारे में विचारों में मतभेद पाया जाता है। इस पृष्ठभूमि में सेमीनार में विचार विमर्श और वादविवाद के बाद निम्न प्रस्ताव तय पाए:

1. यदि इस्लामी बैंक या कोई और वित्तीय संस्थान क़र्ज़ लेने वाले को सामान अधिक कीमत में उधार बेच कर कम क़ीमत में स्वयं ही या उसका कोई उपसंस्थान खरीदता है तो यह अवैद्य है।

2. यदि बैंक मूल्य में क्रय विक्रय नहीं करता बल्कि यह केवल कागज़ी कार्रवाई होती है तो यह भी शरई रूप से अवैद्य है।

3. यदि इस्लामी बैंक क़र्ज़ लेने वाले को अपना कोई सामान आधे क़ीमत में उधार बेच कर विल्कुल अलग हो जाए और ख़रीदार उस सामान को क़ब्ज़े में लेने के बाद अपने तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को कम क़ीमत में नक़द बेच दे जिसका इस बैंक से इस मामले में कोई व्यापारिक सम्बन्ध न हो तो यह सूरत वैद्य और सही होगी।

☆☆☆